



बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना—800 014

संख्या—FC-354

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गया अंचल, गया।

पटना—14, दिनांक—24/05/2017

विषय : गया जिलान्तर्गत 132 KV गया नई बोधगया—वजीरगंज लिलों पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0945 हेठो वन भूमि का "उप प्रबंधक, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, गया के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वन संरक्षक, गया अंचल, गया के पत्रांक 50 दिनांक 11.01.2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा—2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 13.05.2011, दिनांक 25.02.2016 एवं बिहार सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग, के पत्रांक 474 दिनांक 30.08.2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ गया जिलान्तर्गत 132 KV गया नई बोधगया—वजीरगंज लिलों पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.0945 हेठो वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है—

- (i) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
- (ii) अपयोजित होने वाली 0.0945 हेठो वन भूमि का NPV प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिहार सरकार के संकल्प संख्या 513 (ई०), दिनांक 27.11.2008 द्वारा निर्धारित दर पर देय होगा। इसके तहत 6.26 लाख रु० प्रति हेठो की दर पर कुल रु० 59,157/- मात्र की राशि जमा की जायेगी।
- (iii) यद्यपि परियोजना निर्माण में मात्र एक वृक्ष का पातन होना है फिर भी 50 वृक्षों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण परियोजना खर्च पर किया जायेगा। इस निमित् प्रयोक्ता एजेंसी वर्तमान दर पर राशि पर्यावरण एवं वन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वर्तमान दर पर प्राक्कलन तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं एवं मांग पत्र प्रयोक्ता एजेंसी को देंगे।
- (iv) 200 वृक्षों का दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण परियोजना खर्च पर किया जायेगा। इस निमित् प्रयोक्ता एजेंसी वर्तमान दर पर राशि पर्यावरण एवं वन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वर्तमान दर पर प्राक्कलन तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं एवं मांग पत्र प्रयोक्ता एजेंसी को देंगे।

- (v) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Net Present Value (NPV) और सभी अन्य राशि Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) के Ad-hoc Body के बचत खाता लेखा संख्या SB01025201 जो Corporation Bank CGO, Complex, Phase-1, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003 (RTGS/IFSC No. CORP0000371) में धारित है या बचत खाता संख्या 344902010105410 जो Union Bank of India, Sunder Nagar, नई दिल्ली 110003, (RTGS/IFSC No. UBIN0534498) में धारित है, में RTGS/NEFT Mode से फंड ट्रांसफर कर जमा कराई जायेगी, जैसा कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 12-2/2010-CAMPA दिनांक 13.5.2011 एवं दिनांक 24.06.2011द्वारा संसूचित किया गया है। उक्त जमा की गयी राशि की सूचना इस कार्यालय को संबंधित बैंक द्वारा प्रदत्त UTR No. एवं दिनांक की मूलप्रति के साथ दी जायेगी।
- (vi) जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal वेब-साईट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना इस कार्यालय को संबंधित बैंक वेब-साईट द्वारा Generated UTR No. एवं दिनांक की मूलप्रति के साथ दी जायेगी।
- (vii) प्रयोक्ता एजेंसी को इस आशय की वचनबद्धता देनी होगी कि NPV के दर में वृद्धि होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।
- (viii) आवश्यकतानुसार वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिये प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वनों से गुजरने वाले क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में Circuit Breakers का उपयोग किया जायेगा।
- (ix) राईट ऑफ वे पर बौनी प्रजाति (Dwarf Species) (विशेषकर मेडिसिनल पौधों) के पौधों के वृक्षारोपण हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा तैयार योजना को इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी एवं इस कार्यालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि की मांग प्रयोक्ता एजेंसी से की जायेगी।
- (x) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 1 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। वृक्षों का पातन / कंटाई-छँटाई वन विभाग की देख-रेख में प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर किया जायेगा।
- (xi) वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।
- (xii) वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।
- (xiii) वृक्षों एवं संवाहक (Conductors) के बीच न्यूनतम 5.50 मी० की दूरी रखी जायेगी। वृक्ष खुले तार से संपर्क में नहीं आये इसके लिये नियमित रूप से प्रयोक्ता एजेंसी/पैतृक विभाग द्वारा उसकी छँटाई की जायेगी।
- (xiv) वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।
- (xv) वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वन एवं वन्य प्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहें हैं।
- (xvi) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- (xvii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम/नियमावली के प्रावधान जो इस परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित होगा के तहत अलग से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी एवं अन्तिम स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ समर्पित किया जायेगा।

- (xviii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।
- (xix) उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक का भी अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी इस कार्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।
- (xx) यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्त आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।
- (xxi) उपभोक्ता अभिकरण (इस मामले में उप प्रबंधक, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, गया) अपयोजित वन भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।
अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश उग्रवाद जिलों के लिये भारत सरकार द्वारा 5 (पाँच) है० वन भूमि के अपयोजन की शक्ति राज्य सरकार को देने तथा इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार को यह शक्ति प्रत्योजित करने के आलोक में निर्गत किया जाता है।

उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात विषयांकित परियोजना के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी। नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा वन भूमि अपयोजन की अन्तिम स्वीकृति आदेश निर्गत करने के पश्चात ही उक्त वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—(F.C) ३५४ दिनांक २५/०५/२०१७

प्रतिलिपि: अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची / वन महानिरीक्षक—सह—मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, एड—हॉक कैंपा, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—(F.C) ३५५ दिनांक २५/०५/२०१७

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।